फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी बाबूलाल बनाम अप्रार्थीगण भगवानसहाय व अन्य

केस संख्या 60/25 (2025/ online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम रलावता प.ह. सिंदोली तहसील बस्सी जयपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 2.1370 है0, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.9600 है0 एवं खसरा नम्बर 50/157 रकबा 0.2276 के संबंध में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 06/06/2025 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वाद पत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजि0 डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर इस आशय का प्रमाण पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करें। नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 06/06/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
06/6/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. (3) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित आये। वास्ते पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. (3) व शेष के इन्तजार तामील दिनांक 17/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
17/6/25	[illegible] 23/6/25	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
11/7/[illegible]	[illegible]
17/7/[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible] 8/2[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible] 8/2[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible] 21/8/2[illegible]
25/8/2[illegible]	पत्रावली पेश हुई [illegible] 26/8/2[illegible]
26/8/25 [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आवि[illegible] प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की पत्रा[illegible] अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने की। प्रार्थना पत्र से संबंधित मुकदमा [illegible] से प्रार्थना पत्र अदायगी को आगे [illegible]
वाद [illegible] अर्जुन [illegible] शर्मा विरुद्ध [illegible] शर्मा 2. D [illegible] 26/8/25	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र T.I. में दिनांक – 05/05/2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 26/8 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	